बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :– 03/भू0अ0नि0(5)विविध(मगध प्रमंडल)–25/2024..2836.. पटना, दिनांक 18/08/2026

आदेश

बंदोबस्त कार्यालय, गया जी के पत्रांक 345 दिनांक 17.04.2026 द्वारा श्री रोहन कुमार सिंह, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN10023) के विरूद्ध महिला विशेष सर्वेक्षण अमीन सुश्री अनुराधा कुमारी द्वारा फोन पर बदतमीजी किए जाने, बात नहीं करने पर आवास पर जाने एवं बदनाम करने की धमकी दिए जाने संबंधी लगाए गए आरोप की जांच कराकर प्रतिवेदित किया गया है कि सुश्री अनुराधा द्वारा लगाया गया आरोप पूर्णतः सत्य पाया गया है एवं आरोप की पुष्टि की गयी है। इस संबंध में बंदोबस्त कार्यालय स्तर पर श्री सिंह से किये गये स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर भी असंतोषप्रद है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि जांच पदाधिकारी से भी इनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है एवं ये अपने शिविर में बुरे आचरण के लिए कुख्यात है तथा ये अपने वरीय पदाधिकारी की बात भी नहीं मानते हैं। इनके आचरण को अनुशासनहीन, अमर्यादित, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं विशेष सर्वेक्षण कार्य के योग्य नहीं मानते हुए संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय पत्रांक 1664 दिनांक 18.05.2026 द्वारा श्री सिंह से 07 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जिसके प्रतिउत्तर में इनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि इनके एवं सुश्री अनुराधा के बीच Misunderstanding हो गया था। साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारी पर शिविर प्रभारी को दबाव में लाकर अनुशंसा पत्र मंगवाने एवं मानदेय कटौती किए जाने का आरोप लगाया गया एवं कतिपय बातो का उल्लेख करते हुए हुई गलती के लिए क्षमा याचना की गयी है।

श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्यों पर इनके नियंत्री पदाधिकारी यथा बंदोबस्त पदाधिकारी से निदेशालय पत्रांक 2463 दिनांक 21.07.2026 के द्वारा स्पष्टीकरण की समीक्षा कर अनुशंसा सहित स्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 659 दिनांक 22.07.2026 द्वारा मंतव्य प्रेषित किया गया है। मंतव्य में उल्लेखित किया गया है कि स्पष्टीकरण तथ्य से विपरीत है तथा स्वीकार योग्य नहीं है, इनके ऊपर लगाए गए आरोप पूर्णतः सत्य हैं। साथ ही उल्लेख किया गया है कि श्री सिंह द्वारा अपने जाति की श्रेष्ठता साबित करने हेतु अनुसूचित जाति की महिला कर्मी से दुर्व्यवहार किया गया है एवं जांच पदाधिकारी के समक्ष भी सुश्री अनुराधा को अभद्र भाषा में गन्दी–गन्दी गालियाँ दी गयी है। पुनः संविदा समाप्ति की अनुशंसा बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की गयी है।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप/मंतव्य/अनुशंसा एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की विवेचना की गयी है। चूंकि इनके नियंत्री पदाधिकारी बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, जिनके द्वारा इनपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, परन्तु श्री सिंह द्वारा अपने स्पष्टीकरण में नियंत्री पदाधिकारी के विरूद्ध ही आरोप लगाया गया। यदि बंदोबस्त पदाधिकारी इन्हें परेशान या प्रताड़ित करते थे, तो इन्हें अपना पक्ष रखने का अधिकार था, परन्तु इनके द्वारा कभी भी अपनी बात उच्चाधिकारी के समक्ष नहीं रखी गयी है। साथ ही इनके द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी के विरूद्ध सुश्री अनुराधा पर दबाव देने का आरोप लगाया गया है जबकि सुश्री अनुराधा द्वारा लिखित रूप से श्री सिंह पर आरोप लगाया गया है। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण मूल आरोपों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया प्रतीत होता है। इस तरह के कर्मी को यदि संविदा में बनाए रखा जाता है, तो इसका प्रभाव अन्य सर्वेक्षण कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा समाप्त किया जाना ही उचित प्रतीत होता है।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम – 8(4) के तहत श्री रोहन कुमार सिंह, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN10023) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

Suharsh 17/08/26
(सुहर्ष भगत)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(मगध प्रमंडल)–25 / 2024...2836... **पटना, दिनांक :–** 18/08/2026

प्रतिलिपि :– श्री रोहन कुमार सिंह, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN10023), बंदोबस्त कार्यालय, गया जी को सूचनार्थ प्रेषित।

Suharsh 17/08/26
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(मगध प्रमंडल)–25 / 2024...2836... **पटना, दिनांक :–** 18/08/2026

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Suharsh 17/08/26
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(5)विविध(मगध प्रमंडल)–25 / 2024...2836... **पटना, दिनांक :–** 18/08/2026

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Suharsh 17/08/26
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप